

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.1(ब)(144)स्था/डीटीए/

दिनांक 25-6-2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 24.06.2020 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित स्थाई कार्मिक को उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 04 में अंकित पद से कॉलम संख्या 08 में अंकित दिनांक से कॉलम संख्या 05 के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम सर्वश्री	जन्मतिथि	वर्तमान पद	नवीन पद	पे-मैट्रिक्स लेवल	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री देवेन्द्र तनेजा	23.03.74	निजी सहायक	अतिरिक्त निजी सचिव	L-12	2020-21	01.04.2020

उपरोक्त कार्मिक को वास्तविक लाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा।

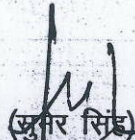

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक: एफ.1(ब)(144)स्था/डीटीए/ 3935-3943

दिनांक 25-6-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III), कार्यालय हाजा।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
5. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री पद कार्यालय हाजा।
9. लेखा/रोकड शाखा।
10. निजी/ रक्षित पत्रावली।


(मुकुन्द सोहोनी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)